हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 72

वीरवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1946(शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. अल्प सूचना प्रश्न

डॉ0 जनक राज, सदस्य ने नियम-46 के अंतर्गत माइनिंग पॉलिसी से संबंधित प्रश्न के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे तथा उद्योग मंत्री/मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

2. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 2337(स्थगित) तथा 2922 पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2918 से 2921 तथा 2923 से 2925 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों

द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2926 से 2947 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 957(स्थगित) तथा 1246 से 1254 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सूचना

"राजभवन से आग्रह आया है जिस बारे मैं आप सभी को सहर्ष सूचित करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से आज दिनांकः 27 मार्च, 2025 को राजभवन में 8.00 बजे रात्रिभोज का आयोजन किया गया है। अतः समस्त माननीय सदस्यगणों व मंत्रिगणों से अनुरोध है कि उसमें अवश्य शामिल हों। यह राजभवन से संदेश है जिससे मैं माननीय सदन को अवगत करवा रहा हूं।"

व्यवस्था का प्रश्न

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार की जन विरोधी नीतियों पर एक कार्यक्रम/प्रदर्शन रखा गया है जिसमें भाग लेने के लिए विभिन्न स्थानों से भारतीय जनता पार्टी के जो साथी शिमला आ रहे थे उनको अनेक स्थानों पर रोका जा रहा है, इसलिए इन सारी स्थितियों को देख कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन से वॉकआउट कर रहे हैं।

(दोपहर 12.00 बजे विपक्ष के सभी सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए।)

विपक्ष द्वारा किए गए बहिर्गमन पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि यह पहला ऐसा वॉकआउट है जिस पर कुछ भी कारण स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब विपक्ष को बोलने की आज़ादी होती है और सरकार की ओर से ऐसे कोई आदेश नहीं दिए गए हैं कि कहीं किसी को बाधित

किया जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन से बोलते-बोलते ही बाहर चले गए हैं इसलिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि विपक्ष के इस वॉकआउट को रिकॉर्ड में न लिया जाए।

शून्य काल

माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर ने निम्न विषय उठायेः-

(i) चम्बा मेडिकल कॉलेज में एम0आर0आई0 और सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध होने के बावजूद इनके संचालन के लिए पर्याप्त रेडियोलॉजिस्ट न होना।

(ii) मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंसिज उपलब्ध होने के बावजूद इनके संचालन के लिए चालकों की कमी बारे।

(iii) मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट के टेंडर की रिन्यूअल तथा एस0आर0 के पदों की रिक्ति बारे।

(iv) contractual policy के तहत इस कॉलेज में भर्ती डॉक्टर्ज को इस पॉलिसी के तहत दिए जाने वाले इंसेंटिव, जो चम्बा मेडिकल कॉलेज के अंदर रेग्यूलर डॉक्टर्ज आते हैं उनको भी एस्पिरेशनल जिला होने के नाते देने बारे, तथा

(v) एम0ओज0 को जे0आर0 के तौर पर जिला चम्बा मेडिकल कॉलेज में पोस्ट करने बारे।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्य ने सदन के संज्ञान में जो विषय लाए हैं; मुझे उम्मीद है कि वे चाहे मंत्रालय स्तर पर हो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री या मुख्य मंत्री जी के लैवल पर हों, जो भी इन विषयों से संबंधित उपयुक्त कार्रवाई करनी होगी, वह निकट भविष्य में की जाएगी।

शून्य काल में चर्चा के लिए माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा व डॉ0 जनक राज द्वारा भी विषय दिए गए थे लेकिन दोनों सदस्यगण सदन में उपस्थित नहीं थे।

माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर ने पटवारी और कानूनगो के पदों को स्टेट काडर घोषित करने के परिणामस्वरूप जिलाधीश कार्यालय में आ रही दिक्क्तों बारे अवगत करवाया।

माननीय अध्यक्ष ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा -

"This is a specific issue relating to the District Cadre. You should have specifically mentioned that District Office staff was in a District Cadre post and now it has become a State Cadre post. In view of that, most of the employees have got them transferred out of district Chamba and may be from the other districts also. This has resulted in lot of vacancies in district Chamba. So, in any case, if any, transfer is to be done from Chamba district at least substitute may be provided over there; unless the substitute is provided the fellow should not be relieved. This decision may be taken at the Government level, Just like in Pangi, Bharmaur tribal areas."

3. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (वित्त लेखे खण्ड-I एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत डॉ0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का

वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, निदेशक/प्रधानाचार्य, ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)-2/2022, दिनांक 29.07.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 07.08.2024 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा-40 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का 115वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा मत्स्य पालन विभाग से सम्बन्धित है;

(2) समिति का 116वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 31वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा मत्स्य पालन विभाग से सम्बन्धित है;

(3) समिति का 374वां मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) पर बना 196वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है;

(4) समिति का 187वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बना 41वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है; और

(5) समिति का 184वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) पर बना 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है।

5. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री केवल सिंह पठानिया, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

6. <u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

7. गैर-सरकारी सदस्य कार्य

1. **श्री केवल सिंह पठानिया, सदस्य द्वारा** दिनांक 22 मार्च, 2025 को प्रस्तुत संकल्प "**यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि वर्तमान परिपेक्ष्य के दृष्टिगत नशे के उन्मूलन/रोकथाम हेतु यह सदन नीति बनाने पर विचार करें**" पर आगे चर्चा जारी-

निम्नलिखित ने भाग लियाः-

1. श्री कैप्टन रणजीत सिंह राणा

सदन में अधिकतर सदस्यों की अपनी सीटों पर उपलब्धता न होने पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि-

> "I will request the Whips of both the sides to please maintain the quorum, otherwise I have to adjourn the House."

2. श्री संजय रत्न
3. श्री राकेश जम्वाल

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

2. **नियम-101 के अन्तर्गत गैर-सरकारी सदस्य दिवस हेतु स्वीकृत संकल्प**

डॉ0 जनक राज, सदस्य ने निम्न संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

> **"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि विधवा महिलाओं के जीवन में सुधार लाने हेतु यह सदन नीति बनाने पर विचार करें।"**

(01.05 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री बलबीर सिंह वर्मा, सदस्य का प्रस्ताव कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए वृक्षारोपण और जल संरक्षण हेतु यह सदन नीति बनाने पर विचार करें," पर माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण चर्चा नहीं हुई।

01.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।